सत्र वाद सं0– 775/2018
कहलगॉव थाना कांड संख्या–**256**/2016
राज्य बनाम् कुंज बिहारी यादव व तीन अन्य
निर्णय दिनांक–27.07.2026

उपस्थित– **श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–**III**
भागलपुर।

निर्णय दिनांक – 27.07.2026

सत्र वाद संख्या – **775**/2018

कहलगॉव थाना कांड संख्या–**256**/2016

अंतर्गत धारा – 341, 323, 307, 325, 379, 504, 506, 34 भा0द0वि0

निबंधन संख्या – 775/2018

बिहार राज्य द्वारा सूचक सच्चिदानंद यादव, पिता–श्री नागेश्वर यादव, साकिन–साधुपुर, थाना–घोघा, जिला–भागलपुर...**सूचक**

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक :– श्री काशीनाथ मिश्रा।

1. सीताराम यादव, उम्र–65 वर्ष, पिता–स्वर्गीय रंगदास यादव,
2. कुंज बिहारी यादव उर्फ भोली यादव, उम्र–40 वर्ष, पिता सियाराम यादव,
3. सियाराम यादव, उम्र–70 वर्ष, पिता स्वर्गीय रंगदास यादव,
4. राजीव कुमार यादव उर्फ राजीव यादव, उम्र–32 वर्ष, पिता–सियाराम यादव, सभी साकिन–साधोपुर, थाना–घोघा, जिला–भागलपुर...**अभियुक्तगण**

बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री अशोक कुमार निराला।

घटना की तिथि	06.06.2016
प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि	03.08.2016
आरोप पत्र की तिथि	22.03.2018
आरोप गठन की तिथि	07.02.2019
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	26.04.2019
तिथि जिसके द्वारा निर्णय हेतु रखा गया	15.07.2026
निर्णय की तिथि	27.07.2026
सजा आदेश की तिथि, यदि कोई हो	

सत्र वाद सं0– 775/2018

उपस्थित– **श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–**III**
भागलपुर।

कहलगॉव थाना कांड संख्या–**256**/2016
राज्य बनाम् कुंज बिहारी यादव व तीन अन्य
निर्णय दिनांक–27.07.2026

अभियुक्त का क्रम	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत प्राप्ति की तिथि	आरोप अंतर्गत धारा	दोषमुक्त/ दोषसिद्ध	सजा की अवधि	विचारण के दौरान कारा में बिताई गई अवधि
1.	सीताराम यादव	–	–	341, 323, 307, 325, 379, 504, 506, 34 भा0द0वि0	323/341/ 34 दोषसिद्ध	–	–
2.	कुंज बिहारी यादव उर्फ भोली यादव	–	–	341, 323, 307, 325, 379, 504, 506, 34 भा0द0वि0	323/341/ 34 दोषसिद्ध	–	–
3.	सियाराम यादव,	–	–	341, 323, 307, 325, 379, 504, 506, 34 भा0द0वि0	323/341/ 34 दोषसिद्ध		
4.	राजीव कुमार यादव उर्फ राजीव यादव	–	–	341, 323, 307, 325, 379, 504, 506, 34 भा0द0वि0	323/341/ 34 दोषसिद्ध		

क. अभियोजन गवाह :–

क्रम सं0	गवाह का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चक्षुदर्शी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ, चिकित्सीय गवाह, पंच, इत्यादि)
PW1	सच्चिदानंद यादव	सूचक
PW2	राज कुमार यादव	सूचक का भाई
PW3	नागेश्वर यादव	–
PW4	गोरेलाल यादव	–
PW5	उमेश यादव	–
PW6	संजय कुमार उपाध्याय	अनुसंधानकर्ता
PW7	डाक्टर ललित कुमार लाल	डाक्टर

ख. बचाव पक्ष के गवाह (यदि कोई हो) :– शून्य

क्रम सं0	गवाह का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चक्षुदर्शी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ, चिकित्सीय गवाह, पंच, इत्यादि)

सत्र वाद सं0– 775/2018

उपस्थित– **श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–**III**
भागलपुर।

कहलगॉव थाना कांड संख्या–**256**/2016
राज्य बनाम् कुंज बिहारी यादव व तीन अन्य
निर्णय दिनांक–27.07.2026

	शून्य	

ग. न्यायालय गवाह (यदि कोई हो) :– शून्य

क्रम सं0	गवाह का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चक्षुदर्शी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ, चिकित्सीय गवाह, पंच, इत्यादि)
	शून्य	

अभियोजन प्रदर्श :– शून्य

क्रम सं0	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
1.	प्रदर्श–1	लिखित आवेदन पर सूचक का हस्ताक्षर
2.	प्रदर्श–1/1	लिखित आवेदन का लिखावट
3.	प्रदर्श–1/2	लिखित आवेदन का निबंधन
4.	प्रदर्श–2	लिखित आवेदन का अग्रसारण
5.	प्रदर्श–3	जख्म प्रतिवेदन का लिखावट एवं हस्ताक्षर

बचाव पक्ष प्रदर्श (यदि कोई हो) :– शून्य

क्रम सं0	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
	शून्य	

न्यायालय प्रदर्श (यदि कोई हो) :– शून्य

क्रम सं0	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
	शून्य	

<u>निर्णय</u>

1. प्रस्तुत वाद में अभियुक्तगण सीताराम यादव, कुंज बिहारी यादव उर्फ भोली यादव, सियाराम यादव तथा राजीव कुमार यादव उर्फ राजीव यादव का विचारण भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 307, 325, 379, 504, 506, 34 के आरोपों के लिए किया गया है कि दिनांक 06.06.2016 को समय करीब 19.45 बजे सूचक के ही गॉव के उमाकांत यादव, कुंजबिहारी यादव, राहुल कुमार यादव, राजीव कुमार यादव, सियाराम यादव, सीताराम यादव ने सूचक को बलपूर्वक मारपीट किया जिसमें सूचक के पैर और दांत मारकर तोड़ दिए और रंगदारी की मांग कर रहे थे और सूचक के घर में घुसकर अटैची में रखे पच्चीस हजार रूपये अटैची के साथ लेकर चले गए और सूचक की मॉ का गले का चैन सोने का छीन कर चला गया तथा धमकी दिया कि शिकायत लेकर कहीं जाओगे तो जान मार डालेंगे।

2. सूचक सच्चिदानंद यादव के द्वारा दिनांक–03.08.2016 को लिखित आवेदन दिया गया जिसके आधार पर कहलगॉव, घोघा थाना कांड संख्या–256/2016 दिनांक–04.08.2016 अन्तर्गत धारा 341, 323, 325, 307, 504, 506, 379, 34 भा0द0वि0 के तहत पंजीकृत किया गया। लिखित आवेदन के आलोक में अभियोजन का संक्षेप में वाद यह है कि दिनांक 06.06.2016 को समय करीब 19.45 बजे सूचक के ही गॉव के उमाकांत यादव, कुंजबिहारी यादव, राहुल कुमार यादव, राजीव कुमार यादव, सियाराम यादव, सीताराम यादव ने सूचक को बलपूर्वक मारपीट किया जिसमें सूचक के पैर और दांत मारकर तोड़ दिए और रंगदारी की मांग कर रहे

सत्र वाद सं0– 775/2018

उपस्थित– **श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–**III**
भागलपुर।

कहलगॉव थाना कांड संख्या–**256**/2016
राज्य बनाम् कुंज बिहारी यादव व तीन अन्य
निर्णय दिनांक–27.07.2026

थे और सूचक के घर में घुसकर अटैची में रखे पच्चीस हजार रूपये अटैची के साथ लेकर चले गए और सूचक की मॉ का गले का चैन सोने का छीन कर चला गया तथा धमकी दिया कि शिकायत लेकर कहीं जाओगे तो जान मार डालेंगे।

3. अनुसंधानोंपरांत अनुसंधानकर्ता द्वारा प्राथमिकी नामित अभियुक्त सीताराम यादव, कुंज बिहारी यादव उर्फ भोली यादव, सियाराम यादव तथा राजीव कुमार यादव उर्फ राजीव यादव के विरूद्ध धारा 341, 323, 325, 307, 504, 506, 379, 34 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप पत्र संख्या–39/2018 दिनांक–22.03.2018 को विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, भागलपुर के न्यायालय में समर्पित किया गया जिसपर विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, भागलपुर द्वारा अपराध का संज्ञान दिनांक 09.04.2018 को लिया गया तथा मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, भागलपुर द्वारा दिनांक 26.09.2018 को उपस्थित अभियुक्त सीताराम यादव, कुंज बिहारी यादव उर्फ भोली यादव, सियाराम यादव तथा राजीव कुमार यादव उर्फ राजीव यादव के विरूद्ध वाद को सत्र न्यायालय को दौरा सुपुर्द किया गया। स्थानांतरण के क्रम में अभिलेख विचारण एवं निष्पादन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

4. अभियुक्तों को भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 307, 325, 379, 504, 506, 34 के आरोपों के लिए दिनांक–07.02.2019 को आरोप गठन करके हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया जिसे अभियुक्तों द्वारा इंकार किया गया एवं वाद में विचारण का दावा किया गया। तत्पश्चात् पत्रावली अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत की गई।

5. अभियोजन साक्ष्य बंद करने के पश्चात् अभियुक्त सीताराम यादव, कुंज बिहारी यादव उर्फ भोली यादव, सियाराम यादव तथा राजीव कुमार यादव उर्फ राजीव यादव का बयान अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 के तहत लेखबद्ध किया गया जिसमें उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताया है तथा कहा है कि झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष की ओर से सफाई में कोई भी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य माननीय न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. अब न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं ?

मंतव्य

7. प्रस्तुत वाद में अभियोजन के तरफ से अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए कुल सात साक्षियों का परीक्षण कराया गया है।

अभियोजन साक्षी सं0–01 सच्चिदानंद यादव
अभियोजन साक्षी सं0–02 राज कुमार यादव
अभियोजन साक्षी सं0–03 नागेश्वर यादव
अभियोजन साक्षी सं0–04 गोरेलाल यादव
अभियोजन साक्षी सं0–05 उमेश यादव
अभियोजन साक्षी सं0–06 संजय कुमार उपाध्याय
अभियोजन साक्षी सं0–07 डाक्टर ललित कुमार लाल

8. अभियोजन के उपर यह दायित्व है कि अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित करे। इस परिपेक्ष्य में **साक्षी सं0–1 सच्चिदानंद यादव** का परीक्षण कराया गया है जो अपने मुख्य परीक्षण में कहे है कि घटना दिनांक 06.06.2016 को 7.75 बजे रात्रि की है। उस समय मैं वासा पर था। उमाकांत यादव, सीताराम यादव, सियाराम यादव, कुंज बिहारी यादव, राहुल कुमार और राजीव कुमार मेरे साथ मारपीट करना

शुरू कर दिया। मुझे मुँह में मुक्का से उमाकांत यादव ने मारकर मेरा दॉत तोड़ दिया जिससे खून बहने लगा। मेरे दाहिने पैर में भी लाठी से कुंज बिहारी यादव ने मारा। मुझे उमाकांत यादव ने मुँह में मारा। सीताराम ने मारने का आदेश दिया था, कह रहा था कि मारो जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद सभी लोगों ने मिलकर मुझे मारा। मेरे घर में घुसकर सीताराम यादव ने अटैची से 25,000/– रूपया और मेरे मॉ के गले का सोने का चैन मॉ के गले से छीन लिया। मारपीट के वक्त हल्ला होने पर पुत्तन यादव, गोरेलाल यादव, गनौरी यादव वगैरह आए। मारपीट के बाद पहले मैं घोघा थाना 7 तारीख को गया और थाना से मैं कहलगॉव अस्पताल ईलाज कराने गया। कहलगॉव से मुझे मायागंज अस्पताल, भागलपुर रेफर कर दिया। मायागंज अस्पताल में मेरा ईलाज हुआ। मायागंज अस्पताल में मेरा 4–5 दिन ईलाज चला। थाना में लिखित आवेदन देकर केस किए थे। लिखित आवेदन मेरे भाई के लिखावट में है जिसपर मेरा हस्ताक्षर है, इसे पहचानता हूँ। हस्ताक्षर को प्रदर्श–1 अंकित किया जाता है। लिखित आवेदन पर मैंने हस्ताक्षर के नीचे तारीख दिया था जिसे दारोगा जी ने ओवरराईटिंग कर के दूसरा तारीख दे दिया था। आज न्यायालय में अभियुक्त सीयाराम यादव उपस्थित है। शेष अभियुक्त उमाकांत यादव, कुंज बिहारी यादव, राहुल कुमार, राजीव कुमार, सियाराम यादव को देखकर पहचानने का दावा गवाह करते है।

9. विद्वान अपर लोक अभियोजक की तरफ से **साक्षी सं0–2 राज कुमार यादव** का परीक्षण कराया गया है जो अपने मुख्य परीक्षण में कहे है कि इस केस की घटना दिनांक 06.06.2016 रात्रि के 7.45 बजे की है। उस समय मैं अपने घर पर था। मेरे बगल की वीणा देवी बोली कि आपके भाई को मार रहा है तो मैं साधुपुर स्थित वासा जो कि घटनास्थल है, पर गया तो देखा कि मेरे भाई को मारकर दॉत तोड़ दिया है और उसके पैर में भी मारा था। सिताराम यादव, उमाकांत यादव, कुंजबिहारी यादव, सियाराम यादव, राजीव यादव, राहुल यादव मेरे भाई सचितानंद के साथ मारपीट कर रहा था। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अपने भाई को उठाया और घर लेकर गया और गॉव में डॉक्टर के पास दवाई दिलवाए। उसके बाद भाई को लेकर कहलगॉव अस्पताल गए और वहॉ से मायागंज अस्पताल ले गए। उसके बाद मेरे भाई ने केस कर दिया। लिखित आवेदन मेरे लिखावट में है। आवेदन दिनांक 03.06.2016 को लिखा हूँ परंतु गलती से मैंने दिनांक 03.08.2016 लिख दिया है। लिखित आवेदन मेरे लिखावट में है, इसे पहचानता हूँ, इसे प्रदर्श– 1/1 अंकित किया जाता है। मेरे भाई का ईलाज मायागंज अस्पताल में पॉच दिन तक चला था। मैं वहॉ दो दिन तक रहा था। मेरे भाई को मारने के अलावा और कुछ किया था, इसका मुझे जानकारी नहीं है। जिस समय मैं घटनास्थल पर पहुँचा तो उस समय वहॉ पर तीन–चार आदमी गोरेलाल यादव, पुत्तन यादव, उमेश यादव, गनौरी यादव वगैरह थे। मेरा ब्यान दारोगा जी लिए थे। आज न्यायालय में मुदालय सीताराम उपस्थित है, इन्हें पहचानता हूँ। शेष मुदालयगण कुंज बिहारी यादव, उमाकांत यादव, राहुल यादव, राजीव यादव और सियाराम यादव को देखकर पहचान सकता हूँ।

10. विद्वान अपर लोक अभियोजक की तरफ से **साक्षी सं0–3 नागेश्वर यादव** का परीक्षण कराया गया है जो अपने मुख्य परीक्षण में कहे है कि यह केस सच्चिदानंद यादव ने किया है। सच्चिदानंद यादव ने केस उमाकांत यादव, कुंजबिहारी यादव, राहुल यादव, राजीव यादव, सीताराम यादव पर किया है। घटना दिनांक 06.06.2016 की है। समय लगभग पौने दस बजे रात्रि की है। उस समय मैं अपने दरवाजे पर थे। सिच्चदानंद यादव को उमाकांत यादव, कुंजबिहारी यादव, राहुल यादव, राजीव यादव, सीताराम यादव ये लोग मुक्का और लाठी से मारने लगा जिससे सच्चिदानंद यादव का दांत टूट गया। उमाकांत यादव के मारने से सच्चिदानंद यादव का दांत टूट गया। उसके बाद उमाकांत यादव बोला कि तुम्हारा पूरा परिवार को मार देंगे। उसके बाद गॉव के ग्रामीण लोग आए तो अभियुक्त लोग भाग गए। उसके बाद मैं अपने लड़के को कहलगॉव अस्पताल लेकर गया। कहलगॉव अस्पताल से

मायागंज अस्पताल में 08 दिन भर्ती रहा। मेरा ब्यान दारोगा जी घटना के दो दिन बाद लिए। आज न्यायालय में उपस्थित राजीव अभियुक्त को पहचानता हूँ। शेष अभियुक्त को सामने आने पर देखकर पहचान लूंगा।

11. विद्वान अपर लोक अभियोजक की तरफ से **साक्षी सं0–4 गोरेलाल यादव** का परीक्षण कराया गया है जो अपने मुख्य परीक्षण में कहे है कि यह केस फुटुस यादव ने किया है। यह केस सीताराम यादव, उमाकांत यादव, राजीव यादव एक और आदमी जिसका नाम याद नहीं है के उपर किया है। यह घटना लगभग तीन वर्ष पहले की है। समय शाम आठ बजे रात की घटना है। उस समय मैं अपने बथान पर था। उस समय देखा कि पलटु यादव को सीताराम यादव और उमाकांत यादव ने लाठी–डंडा से मारपीट करने लगा। सीताराम यादव ने आदेश दिया कि मारो तो चारो अभियुक्तों ने मिलकर मारना शुरू कर दिया। पलटु यादव का दांत तोर दिया चारो अभियुक्तों ने मिलकर। आज न्यायालय में उपस्थित सीताराम यादव और राजीव यादव को पहचानता हूँ। शेष अभियुक्तों को सामने आने पर देखकर पहचान लूंगा। पुलिस में भी मेरा ब्यान हुआ था।

12. विद्वान अपर लोक अभियोजक की तरफ से **साक्षी सं0–5 उमेश यादव** का परीक्षण कराया गया है जो अपने मुख्य परीक्षण में कहे है कि यह केस सच्चिदानंद यादव उर्फ फंटुस यादव ने किया है। कुल चार–पॉच आदमी पर केस किया है। यह घटना साढ़े आठ बजे रात्रि की है। घटना लगभग सावा तीन वर्ष पूर्व की है। उस समय मैं अपने घर में खाना खा रहा था। घर में ही सुना की मारपीट हुआ और दांत टूट गया है। जब घटनास्थल पर पहुँचे तो देखा कि सच्चिदानंद यादव के मुँह से खून निकल रहा था। उसके बाद झगड़ा शांत हो गया। आज न्यायालय में उपस्थित सीताराम यादव और राजीव यादव को पहचानता हूँ। शेष अभियुक्तों को सामने आने पर देखकर पहचान लूंगा।

13. विद्वान अपर लोक अभियोजक की तरफ से **साक्षी सं0–6 संजय कुमार उपाध्याय** का परीक्षण कराया गया है जो अपने मुख्य परीक्षण में कहे है कि मैंने इस कांड का अनुसंधान का भार थानाध्यक्ष, घोघा पु0अ0नि0 सुनील कुमार से लिया गया। दिनांक 10.07.2017 को अनुसंधान का भार लिया। केस डायरी के पारा–81 में चौकीदार 6/15 संजय पासवान को इस कांड के जख्मी वादी सच्चिदानंद यादव का जख्म जॉच प्रतिवेदन लाने हेतु जे0एल0एन0एम0सी0एच0 में जाकर इंजूरी प्रतिवेदन का खोज किया। उस दिन जख्म जॉच प्रतिवेदन नहीं मिला। केस डायरी के पारा–104 में जे0एल0एन0एम0सी0एच0, मायागंज, भागलपुर से जख्म जॉच प्रतिवेदन प्राप्त कर उसे अनुमंडल अस्पताल, कहलगॉव के लिए प्रस्थान किया। केस डायरी के पारा–106 में अनुमंडलीय अस्पताल प्रभारी से संपर्क किया। वहॉ पर चिकित्सा प्रभारी से जख्म जॉच प्रतिवेदन देने हेतु अनुरोध किया तथा बताया गया कि जख्मी सच्चिदानंद का ईलाज डॉ ललित कुमार लाल के द्वारा किया गया है, जिसका स्थानांतरण अनुमंडल अस्पताल, कहलगॉव से दूसरे जगह हो गया। दिनांक 10.07.2017 में घोघा थाना में स0अ0नि0 के पद पर पदस्थापित था। पारा–112 में पुलिस निरीक्षक कहलगॉव अंचल कार्यालय ज्ञापांक–69/2018, दिनांक 27.01.2018 के माध्यम से निर्गत अंतिम प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त किया। पारा–113 में अवलोकन किया। पारा–114 में आरोप पत्र संख्या–39/2018 दिनांक 22.03.2018 धारा–341, 323, 325, 307, 504, 506, 379, 34 भा0द0वि0 में सियाराम यादव एवं सीताराम यादव, कुंज बिहारी यादव, राजीव कुमार यादव के विरूद्व समर्पित किया गया एवं दो अभियुक्त राहुल यादव एवं उमाकांत यादव को अनुप्रेषित दिखाया। इस कांड को पु0नि0 सह थानाध्यक्ष कहलगॉव रंजीत कुमार के द्वारा दिनांक 04.08.2016 को निबंधित किया गया है। जिस पर उनका हस्ताक्षर है, जिसे मैं पहचानता हूँ जिसे प्रदर्श–1/2 अंकित किया जाता है। इस कांड के प्राथमिकी आवेदन को पु0अ0नि0 परशुराम सिंह थानाध्यक्ष घोघा के द्वारा दिनांक 03.08.2016 को अग्रसारित कर औपचारिक प्राथमिकी दर्ज करने हेतु कहलगॉव थाना भेजा गया, जो पु0अ0नि0 परशुराम सिंह थानाध्यक्ष घोघा के लिखावट एवं हस्ताक्षर में है, जिसे पहचानता हूँ,

जिसे प्रदर्श–2 अंकित किया जाता है। पारा–21 में जख्मी सच्चिदानंद यादव का जख्म जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ।

14. विद्वान अपर लोक अभियोजक की तरफ से **साक्षी सं0–7 डाक्टर ललित कुमार लाल** का परीक्षण कराया गया है जो अपने मुख्य परीक्षण में कहे है कि I was posted on 08.06.2016 as Medical Officer at Sub-divisional Hospital, Kahalgaon, Bhagalpur. On that day, I examined Sachhidanand, S/o Nageshwar Prasad of Village-Sadhopur, P.S. Ghogha, District- Bhagalpur at 10.30 P.M. and found following:-

i. absence of right lower two incisor and one canine teeth with swollen gum referred to Dentist JLNMCH, Bhagalpur for opinion.

ii. diffused swelling of right foot and tenderness.

Nature of Injury:- Opinion reserved for injury no. i and ii for reports from Medical College.

Age of injury:- Within 3 days.

M.I- Scar mark on left index finger.

This injury report is in my pen and signature and which is identified by me and exhibited as Ext. 3.

Further I was transferred from that medical college to another district Darbhanga. Another supplementary report was received by the police and submitted before the court. I perused supplementary report of emergency registration, JLNMCH, Bhagalpur issued by Dr. U.S. Bhagat on 07.10.2017 and found right ankle and skull mandibles showing no fracture. Therefore, above said injuries are simple and caused by hard blunt substance.

15. विद्वान अपर लोक अभियोजक का कथन है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य में तारतम्यता एवं बल है। एक–दूसरे के विरोधाभाषी नहीं है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों का प्रतिपरीक्षण बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान किसी ऐसे तथ्य का प्रकटीकरण नहीं किया गया है जिससे साक्षियों के साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सम्पूर्ण युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित कर दिया है। अतएव, अभियुक्तों को आरोपित अंतर्गत धारा 341, 323, 307, 325, 379, 504, 506, 34 भा0द0वि0 के तहत दोषसिद्ध किया जाय।

16. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य की विश्वसनीयता, ग्राहयता एवं कांड की सत्यता पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए कहे है कि वास्तविक तथ्य यह है कि उभयपक्ष ग्रामीण है। जमीनी विवाद को लेकर उभयपक्ष के बीच रंजीश चला आ रहा था। सूचक अभियुक्तगण के जमीन को नाजायज कब्जा करना चाहते थे और जब अभियुक्तगण के द्वारा इसका विरोध किया गया तो सूचक ने एक मनगढ़त कहानी बनाकर एक झूठा केस अभियुक्त के विरूद्व कर दिया। यही कारण था कि जो भी साक्षी न्यायालय में अपना साक्ष्य दिए है वह सभी हितबद्व साक्षी है।

17. बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अभियोजन साक्षी संख्या–1 सच्चिदानंद यादव ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि घटना का दिन मुझे याद नहीं है। मेरे घर से थाना की दूरी तीन किलोमीटर है। मेरा ब्यान दारोगा जी के समक्ष दिनांक 08.06.

2016 को हुआ था। मेरे अलावा और किन्ही का ब्यान नहीं हुआ था। मेरे परिवार में कुल कितनी संपत्ति है, मैं नहीं बता सकता हूँ। मेरी मॉ ने चैन खरीदा था परंतु कहॉ से खरीदा था मैं नहीं बता सकता हूँ। चैन का कोई भी रसीद मेरे पास नहीं है। मेरी मॉ के गले में कोई खरोंच नहीं आया था। मेरे पिताजी और सिताराम यादव के बीच में जमीन का विवाद ग्राम कचहरी जानीडीह में चल रहा है, जिसका दिवानी वाद संख्या–19 / 16 है या नहीं मैं नहीं बता सकता हूँ परंतु केस चल रहा है। दारोगा जी को घटनास्थल पर खून लगा मिट्टी नहीं दिखाए थे क्योंकि दारोगा जी घटना के 15 दिन बाद घटनास्थल पर गए थे। लिखित आवेदन मेरे भाई ने लिखा जिसपर मैंने सिर्फ अपना हस्ताक्षर किया और तारीख लिखा जिसके महीने को थाना प्रभारी 6 से 8 बना दिया है। मैंने लिखित आवेदन को नहीं पढ़ा सिर्फ दस्तखत किया। अभियोजन साक्षी संख्या–2 राज कुमार यादव ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि मैं घटनास्थल पर मारपीट के 10–15 मिनट बाद पहुँचा था। घटना के वक्त रात्रि का अंधेरा था या नहीं मुझे याद नहीं है। मुझे पता नहीं कि मेरे घर से घटनास्थल कितनी दूर है। मेरे पिता नागेश्वर यादव, सियाराम यादव और सिताराम यादव के बीच बंटवारा हुआ है या नहीं मुझे मालूम नहीं है। कितना देर मारपीट हुआ है मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं मारपीट होने के बाद घटनास्थल पर पहुँचा था। अभियोजन साक्षी संख्या–3 नागेश्वर यादव ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि घटना के दिन कौन वार था हमको याद नहीं है। घटना वाले दिन अंधेरी रात थी या चांदनी रात थी मेरे को पता नहीं है। मेरे और मेरे भाई सियाराम यादव और सीताराम यादव के बीच जमीनी विवाद है। हमारा अमीन के द्वारा बंटवारा नहीं हुआ है। अभियुक्त लोगों से पहले बाताबाती हुआ। एक घंटा तक बाताबाती चला। अभियोजन साक्षी संख्या–4 गोरेलाल यादव ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि घटनास्थल से मेरा बथान लगभग 10 हाथ की दूरी पर है। घटना के समय मैं अपने बथान पर अकेला था। घटनास्थल पर हम अपने बथान से मारपीट शुरू होने के बाद आए। घटनास्थल पर बहुत आदमी थे पंरतु गिनती से कितने थे इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं बता सकता हूँ। मेरे और अभियुक्त सीताराम यादव के बीच रास्ता को लेकर विवाद चलता था। घटना का दिन, तारीख और महीना याद नहीं है। अभियोजन साक्षी संख्या–5 उमेश यादव ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि मैंने मारपीट होते हुए नहीं देखा था। अभियुक्तों और सच्चिदानंद यादव के बीच में जमीनी विवाद है। मेरा और मुदालह सीताराम के बीच में जमीनी विवाद है। अभियोजन साक्षी संख्या–6 संजय कुमार उपाध्याय ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि डायरी अनुसंधान का भार ग्रहण करने का समय अंकित नहीं किया है। अनुसंधान का भार ग्रहण करने के बाद घटनास्थल के किसी भी गवाह का ब्यान नहीं लिया। अनुसंधान के क्रम में जमीन संबंधी कोई भी दस्तावेज की मांग नहीं किए थे। जे0एल0एन0एम0सी0एच0 में जख्म प्रतिवेदन के लिए कोई आवेदन नहीं दिया था। अभियोजन साक्षी संख्या–7 डाक्टर ललित कुमार लाल ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि जख्मी का दांत फूला हुआ था, वह पायरिया से भी फूला हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति तेज चलने के दौरान गिर जाता है तो दूसरा जख्म होना संभव है।

18. बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विवेचनाधिकारी द्वारा घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुरूप संपुष्टि कारक साक्ष्य न देकर बल्कि विरोधाभासी साक्ष्य दिया है और उनके द्वारा गवाह के रूप में किसी भी स्वतंत्र साक्षी का ब्यान अंकित नहीं किया गया है। विवेचनाधिकारी द्वारा घटनास्थल का मैप भी नहीं बनाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि विवेचनाधिकारी द्वारा मात्र थाना पर बैठकर ही कांड दैनिकी तैयार किया गया है। यदि घटनास्थल पर जाकर विवेचना किए होते तो निश्चित ही घटना से संबंधित विवरण अवश्व तैयार किया होता और घटनास्थल की स्थिति स्पष्ट होती परंतु इनके द्वारा विरोधाभाषी साक्ष्य दिया गया है। ऐसी स्थिति में इस साक्षी का साक्ष्य विश्वास योग्य नहीं है।

सत्र वाद सं0— 775 / 2018

उपस्थित— **श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश—III
भागलपुर।

कहलगॉव थाना कांड संख्या—**256** / 2016
राज्य बनाम् कुंज बिहारी यादव व तीन अन्य
निर्णय दिनांक—27.07.2026

19. बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि साक्षियों ने घटना के अनुरूप संपुष्ट कारक साक्ष्य न देकर बल्कि विरोधाभाषी साक्ष्य दिया है। साक्षियों ने प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुरूप भी साक्ष्य नहीं दिया है बल्कि विरोधाभाषी साक्ष्य दिया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन अभियुक्तों के विरूद्व लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा— 341, 323, 307, 325, 379, 504, 506, 34 के तहत संपूर्ण युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर सका है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तों को दोषमुक्त किया जाय।

20. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि अभियुक्तगण के विरूद्व धारा—341, 323, 307, 325, 379, 504, 506, 34 भा0द0वि0 के तहत आरोप का गठन किया गया है। जहॉ तक धारा—307, 325, 504, 506, 379 भा0द0वि0 का प्रश्न है, इसके संबंध में अभियोजन की ओर से जख्मी का जख्म साबित करके प्रदर्श अंकित कराया गया है, जिसके अवलोकन से प्रतीत होता है कि जख्मी के दांत पर मारने की बात चिकित्साधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में कहा है। न्यायालय में उपस्थित चिकित्साधिकारी ने साक्ष्य दिया है जिसने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि जख्मी का दांत फूला हुआ था। वह पायरिया से भी फूला हो सकता है। जख्म की प्रकृति साधारण एवं भोथरे पदार्थ से कारित किया गया बताया गया है। साक्षियों के साक्ष्य के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्व लगाए गए अंतर्गत धारा—307 / 325 / 34 संपूर्ण युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर सका है। जहॉ तक धारा—504 / 506 / 34 भा0द0वि0 का प्रश्न है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि अभियुक्तगण ने सूचक / जख्मी को अपमानित करने के आशय से किसी विशेषतः शब्द जिससे सूचक / जख्मी का मान—प्रतिष्ठा समाज में गिरी हो और वह उससे अपमानित हो। अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्व लगाए गए अंतर्गत धारा—504 / 506 / 34 संपूर्ण युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर सका है। जहॉ तक धारा—379 / 34 का प्रश्न है, इसके संबंध में अभियोजन की ओर परीक्षित साक्षियों ने कहा है कि सूचक की मॉ के गले से मारपीट के दौंरान चैन खींचा गया हो परंतु धारा—379 / 34 भा0द0वि0 के संदर्भ में साक्षियों के साक्ष्य में काफी विरोधाभाष है। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्व लगाए गए अंतर्गत धारा—379 / 34 भा0द0वि0 संपूर्ण युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर सका है। जहॉ तक धारा—323 / 341 / 34 भा0द0वि0 का प्रश्न इसके संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा साक्षियों के साक्ष्य से स्पष्ट प्रतीत होता है कि अभियुक्तगण ने सामान्य आशय से मिलकर सूचक / जख्मी को घेर कर मारपीट किए जिससे सूचक / जख्मी को दांत में चोट लगा और जिससे उसका मसूढ़ा फूल गया। चिकित्साधिकारी द्वारा परीक्षित साक्ष्य से भी स्पष्ट है कि सूचक / जख्मी के मुॅह में चोट लगा है जो साधारण प्रकृति का है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण ने सूचक के साथ मारपीट किया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्व लगाए गए धारा 323 / 341 / 34 संपूर्ण युक्तियुक्त से परे साबित कर दिया है। अतएव अभियुक्तगण के विरूद्व लगाए गए धारा—323 / 341 / 34 भा0द0वि0 के अंतर्गत दोषसिद्व किया जाता है। दोषसिद्व व्यक्ति जमानत पर है। उनके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्व से उन्मोचित करते हुए दोषसिद्व व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में लिया जाता है।

ह0 / —
(सुरेश कुमार श्रीवास्तव)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश—III
भागलपुर
दिनांक—27.07.2026

ह0 / —
(सुरेश कुमार श्रीवास्तव)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश—III
भागलपुर
दिनांक—27.07.2026

सत्र वाद सं0– 775 / 2018
कहलगॉव थाना कांड संख्या–**256** / 2016
राज्य बनाम् कुंज बिहारी यादव व तीन अन्य
निर्णय दिनांक–27.07.2026

उपस्थित– **श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–**III**
भागलपुर।

<u>सजा के बिन्दू पर सुनवाई</u>

<u>27.07.2026</u>

दोषसिद्ध व्यक्ति की ओर से विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि दोषसिद्ध व्यक्ति का यह प्रथम अपराध है। दोषसिद्ध व्यक्ति के विरूद्व अभिलेख पर पूर्व दोषसिद्धी का कोई साक्ष्य नहीं है। सभी दोषसिद्ध व्यक्ति गरीब है और अपने परिवार का भरण–पोषण करने वाला अकेला व्यक्ति है। ऐसी स्थिति में दोषसिद्ध व्यक्ति को आपराधिक परिविक्षा अधिनियम के तहत <u>डाट–फटकार / भर्त्सना</u> देकर छोड़ दिया जाय।

विद्वान अपर लोक अभियोजक का कथन है कि दोषसिद्ध व्यक्ति द्वारा सामान्य आशय से जमीन को लेकर मारपीट किया गया। दोषसिद्ध व्यक्ति द्वारा कारित कृत सामाज के विरूद्व और काफी गंभीर प्रकृति का है। ऐसी स्थिति में दोषसिद्ध व्यक्ति के दंड पर सहानुभुति पूर्वक विचार न करते हुए कठोर से कठोर दंड दिया जाय, जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाय।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से प्रतीत होता है कि दोषसिद्ध व्यक्ति को धारा–323 / 341 / 34 भा0द0वि0 के तहत दोषी पाया गया है। अभिलेख अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि प्रोबेशन पदाधिकारी के द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि जॉच के क्रम में ग्रामीणों जनप्रतिनिधि एवं पड़ोसी द्वारा बताया गया कि अभियुक्तगण एवं सूचक दोनों आपस में सहदायिक है। बताया गया कि स्व0 रंगदास यादव द्वारा लगभग 2 बीघा भूमि नागेश्वर यादव सूचक के पिता के नाम से क्रय की गई थी। उक्त भूमि को लेकर दोनों के मध्य दीर्घकाल से विवाद चला आ रहा है। यह भी बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच पूर्व एवं घटना पश्चात् में भी अक्सर कहासुनी, लड़ाई–झगड़ा एवं मारपीट की घटनाएँ होती रही है। ग्रामीणों, पड़ोसियों एवं अन्य स्थानीय व्यक्तियों के कथनों के अनुसार भूमि को लेकर दोनो पक्षों के बीच समय–समय पर विवाद एवं तनाव की स्थिति बनी रहती है। घटना के दिन सूचक द्वारा उक्त भूमि पर जुताई किए जाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जो बाद में मारपीट मे परिवर्तित हो गई। स्थानीय स्तर पर यह भी बताया गया कि भूमि विवाद के कारण दोनों पक्षों के संबंध वर्तमान में सामान्य नहीं है। उपलब्ध तथ्यों एवं कथनों के सम्यक परीक्षण के आधार पर यह प्रतीत होता है कि घटना पारिवारिक संपत्ति विवाद की पृष्ठभूमि में उत्पन्न हुई, जिसमें दोनो पक्षो के बीच तनाव एवं आपसी झड़प हुई। दोषसिद्व व्यक्ति के विरूद्व पूर्व से दोषसिद्वि का साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। दोषसिद्व व्यक्ति का यह प्रथम अपराध है। दोषसिद्व व्यक्ति के आयु, लिंग, पारिवारिक स्थिति एवं मुकदमें की गंभीरता को देखते हुए दोषसिद्व व्यक्ति को आपराधिक परिविक्षा अधिनियम की धारा–3 के तहत <u>डाट–फटकार / भर्त्सना</u> देकर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

<u>आदेश</u>

दोषसिद्व व्यक्ति सीताराम यादव, कुंज बिहारी यादव उर्फ भोली यादव, सियाराम यादव तथा राजीव कुमार यादव उर्फ राजीव यादव को आपराधिक परिविक्षा अधिनियम की धारा–3 <u>डाट–फटकार / भर्त्सना</u> देकर छोड़ा जाता है। दोषसिद्व व्यक्ति इस आशय का बन्ध पत्र दाखिल करेंगे

सत्र वाद सं0– 775/2018

उपस्थित– **श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III
भागलपुर।

कहलगॉव थाना कांड संख्या–**256**/2016
राज्य बनाम् कुंज बिहारी यादव व तीन अन्य
निर्णय दिनांक–27.07.2026

कि यदि सूचक अपीलीय न्यायालय में अपील दाखिल करता है तो दोषसिद्व व्यक्ति अपीलीय न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।

निर्णय समाप्ति के पश्चात यह समीचीन प्रतीत होता है कि न्यायालय यह धारित करे कि मुकदमें में पीड़ित पक्ष कौन है ? प्रस्तुत वाद में सूचक पीड़ित पक्ष है। यद्वपि उभयपक्ष के बीच जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुआ था। जमीन संबंधी कागजात सूचक द्वारा नहीं दाखिल किया गया है। ऐसी स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, भागलपुर को प्रतीकर की राशि की अनुशंसा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। कार्यालय को आदेश दिया जाता है कि निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी, भागलपुर को भेजे। तत्पश्चात्, अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लेखापित, संशोधित
एवं हस्ताक्षरित कर आज उभयपक्ष की उपस्थिति में सुनाया गया।

ह0/–
(सुरेश कुमार श्रीवास्तव)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III
भागलपुर
दिनांक–27.07.2026

ह0/–
(सुरेश कुमार श्रीवास्तव)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III
भागलपुर
दिनांक–27.07.2026

निर्णय की तिथि	27.07.2026
तिथि जिसके द्वारा निर्णय हेतु रखा गया	15.07.2026
अपलोड की तिथि	31.07.2026
किसके द्वारा अपलोड किया गया	प्रीतम कुमार, डीपोजिशन राइटर